आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक १९४१से नियम १२९)

आदेश पत्रक सं0 .... से .... तक

जिला .... सं0 **09 / 2024–25**........सन् 2024–25

केस का प्रकारः–**विविधवाद**

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी आदेश सहि
09/11/24	प्रस्तुत अभिलेख संख्या–09/2024–25 का संधारण आवेदक लक्ष्मी यादव पिता–स्व0 दुखन यादव एवं विजय सिंह, पिता–स्व0 तापेश्वर सिंह, ग्राम–पचमों के द्वारा समर्पित आवेदन पत्र जो अंचल ईटखोरी थाना न0–6 मौजा–पचमों, खाता न0–1, प्लॉट न0–1372 पर रामाधीन सिंह पिता–स्व0 बलदेव सिंह ग्राम–पुनौल के द्वारा कराये जा रहे अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगाने से संबंधित है के आलोक में संधारित किया गया है। आवेदन पत्र के आलोक में राजस्व उपनिरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक–23/12/24 को उपस्थापित करें। 09/11/24 अंचल अधिकारी, ईटखोरी।	
23/12/24	**अभिलेख उपस्थापित।** अपर समाहर्ता, चतरा के पत्रांक–1517/रा0, दिनांक–19.12.2024 के आलोक में आवेदक लक्ष्मी यादव पिता–स्व0 दुखन यादव एवं विजय सिंह, पिता–स्व0 तापेश्वर सिंह, ग्राम–पचमों के आवेदन पत्र पर कार्रवाई हेतु प्राप्त पत्र एवं पूर्व में आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन पर संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् हैः– ➢ अंचल ईटखोरी थाना न0–6 मौजा–पचमों, खाता न0–1, प्लॉट न0–1372, रकवा–0.15 ए0 भूमि सर्वे खतियान के अनुसार बकास्त खाते की भूमि है। ➢ उक्त भूमि से संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, चतरा को आवेदक रामाधीन सिंह पिता–बलदेव सिंह ग्राम–पुनौल के द्वारा उपरोक्त भूमि की जमाबंदी कायम करने संबंधी दिये गये आवेदन पत्र के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, चतरा द्वारा पत्रांक–1184/सा0 दिनांक–12.08.2023 से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई थी। जिसके आलोक में जाँच प्रतिवेदन दिनांक–27.09.2023 को समर्पित किया गया था। ➢ उक्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त भूमि ऑनलाईन में दर्ज नहीं है। आवेदक द्वारा एक जमींनदारी रसीद	

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी आदेश सहित

दिया गया है। जिसमें मौजा–पचमों के खाता न0–1/9, प्लॉट न0–1372, रकवा–0.15 ए0 भूमि बालदेव सिंह के नाम से दर्ज है।

➢ सरकारी रसीद एक भी निर्गत नहीं है। वर्तमान में ऑनलाईन पंजी II के पृष्ठ संख्या 70/2 पर खाता न0–1, प्लॉट न0–1372, रकवा–0.15 ए0 भूमि मौजा–पचमों में बालदेव सिंह पिता–चोवा सिंह के नाम जमाबंदी दर्ज है। लगान 5 रू. शेष 1 दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में बन्दोबस्ती दर्ज है।

➢ आवेदक लक्ष्मी यादव द्वारा दावा किया गया है कि अपर समाहर्ता, चतरा के पत्रांक–1292 दिनांक–31.02.2023 के द्वारा मौजा–पचमों, थाना न0–1, प्लॉट न0–1372, रकवा–0.15 ए0 भूमि की जमाबंदी कायम करने का रामाधीन सिंह पिता–बालदेव सिंह से प्राप्त आवेदन पत्र पर आवश्यक कार्रवाई करने का पत्र अंचल अधिकारी ईटखोरी को प्रेषित किया गया था, परन्तु अंचल अधिकारी बिना जाँच किये ऑनलाईन जमाबंदी कायम कर दिये हैं।

➢ आवेदक द्वारा अभिलेखागार चतरा से ऑफलाईन पंजी II की छायाप्रति समर्पित किया गया है। जिसमें मौजा–कोनी, पंजी II के पृष्ठ संख्या–70/1 पर खाता न0–16 रकवा–0.08 ए0 भूमि श्रीमति यशोदा देवी पति–मोती राम दर्ज है।

➢ स्थल जाँच में पाया कि आवेदक के भूमि दखल कब्जे में है। उक्त भूमि पर घर बना हुआ है जिसमें कई वर्षों से अपने परिवार के साथ रह रहे है, परन्तु उक्त खाता प्लॉट की भूमि के कुछ भाग पर शौचालय का निर्माण कार्य रामाधीन सिंह के द्वारा किया जा रहा था जिस पर बिजय सिंह, लक्ष्मी यादव द्वारा आपत्ति किया गया है, वर्तमान में कार्य बंद है।

➢ आवेदक द्वारा दावा के संबंध में जाँच किया पाया कि उक्त भूमि से संबंधित अभिलेखागार चतरा से प्राप्त ऑनलाईन पंजी II के पृष्ठ संख्या–70/2 पर दर्ज किसी अन्य व्यक्ति का जमाबंदी कायम रहना एवं प्राधिकार कॉलम में बिना किसी केस संख्या का बन्दोबस्ती लिखा होना संदेहात्मक प्रतीत होता है।

उक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उभय पक्षों को नोटिश निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक–24/1/25 को रखें।

अंचल अधिकारी,
ईटखोरी।

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी आदेश सहित
24/1/25	**अभिलेख उपस्थापित** निर्गत नोटिश के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हैं। ऑनलाईन पंजी II के पृष्ठ संख्या–70/2 पर दर्ज जमाबंदीदार बालदेव सिंह के वंशज इन्द्रजीत सिंह पिता–रामाधीन सिंह ग्राम–पुनौल के द्वारा बताया गया कि ऑनलाईन जमाबंदी कायम किये जाने से संबंधित आवेदन पत्र एवं कागजात तत्कालीन अंचल अधिकारी, ईटखोरी को समर्पित किया गया है। जिसके आधार पर राजस्व कर्मचारी से जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा प्राप्त करने के उपरान्त ऑनलाईन जमाबंदी कायम की गई है। आगे बताया गया कि प्रश्नगत् भूमि पर उनका कब्जा पूर्वजों से है तथा उसपर उनका मकान बना हुआ है। वर्तमान में अपनी भूमि पर शौचालय का निर्माण किये जानें पर विपक्षी लक्ष्मी यादव एवं बिजय सिंह के द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। आगे बताया गया कि प्रश्नगत् भूमि बकास्त खाते की भूमि है जो जमींनदार द्वारा उन्हें हासिल है। इन्द्रजीत सिंह द्वारा विपक्षी बिजय सिंह एवं लक्ष्मी यादव द्वारा दिये गये आपत्ति को खारिज करते हुए शौचालय निर्माण की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी लक्ष्मी यादव एवं बिजय सिंह ग्राम–पुनौल के द्वारा बताया गया कि इन्द्रजीत सिंह ने तत्कालीन अंचल अधिकारी से मेलजोल कर फर्जी तरीके से प्रश्नगत भूमि की Online जमाबन्दी कायम करा कर लगान रसीद निर्गत करा लिया है जिसे रद्द करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक लक्ष्मी यादव के द्वारा अपने कथन के समर्थन में कागजात समर्पित करने हेतु समय की मांग की गई। पुनः सुनवाई हेतु अभिलेख दिनांक–27/02/25 को रखें। (हस्ताक्षर) 24/1/25 अंचल अधिकारी, ईटखोरी।	
27/02/25	**अभिलेख उपस्थापित** उभय पक्ष उपस्थित है। उभय पक्ष को पुनः सुना गया। आवेदक लक्ष्मी यादव एवं विजय यादव की ओर से न्यायालय को अपने दावा से संबंधित कागजातों को समर्पित किया गया। विपक्षी इन्द्रजीत सिंह के द्वारा भी अपने कथन के समर्थन में जमीन्दारी रसीद, Online पंजी–II की प्रति प्रस्तुत किया गया। अभिलेख को आदेशार्थ रखें। (हस्ताक्षर) 27/02/25 अंचल अधिकारी, ईटखोरी।	

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी आदेश सहि
7/03/2025	**अभिलेख उपस्थापित** उभय पक्ष के द्वारा समर्पित कागजातों के अवलोकन एवं बहस से स्पष्ट है कि आवेदक लक्ष्मी यादव के द्वारा समर्पित अभिलेखागार चतरा से प्राप्त ऑफलाईन पंजी II की छायाप्रति में मौजा–कोनी, पंजी II के पृष्ठ संख्या–70/1 पर खाता न0–16 रकवा–0.08 ए0 भूमि श्रीमति यशोदा देवी पति–मोती राम दर्ज है तथा इन्द्रजीत सिंह के द्वारा समर्पित ऑनलाईन पंजी II के पृष्ठ संख्या 70/2 पर खाता न0–1, प्लॉट न0–1372, रकवा–0.15 ए0 भूमि मौजा–पचमों में बालदेव सिंह पिता–चोवा सिंह के नाम जमाबंदी दर्ज है। लगान 5 रू शेष 1 दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में बन्दोबस्ती दर्ज है। इन्द्रजीत सिंह के द्वारा बताया गया कि Offline पंजी–II के आधार पर ही Online जमाबन्दी कायम की गई है जबकि Offline पंजी–II के पृष्ठ संख्या 70/2 पर श्रीमति यशोदा देवी पति–मोती राम दर्ज है। राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा अपने जॉच प्रतिवेदन में भी प्रतिवेदित किया गया है कि ऑनलाईन पंजी II के पृष्ठ संख्या–70/2 पर दर्ज किसी अन्य व्यक्ति का जमाबंदी कायम रहना एवं प्राधिकार कॉलम में बिना किसी केश संख्या का बन्दोबस्ती लिखा होना संदेहात्मक प्रतीत होता है। अंचल कार्यालय में भी बालदेव सिंह, पिता–चोवा सिंह के नाम Online कायम किये गये जमाबंदी का आधार अर्थात Online जमाबन्दी कराने संबंधी आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन पत्र एवं कागजातों अथवा सक्षम पदाधिकारी का आदेश आदि की खोज की गई परन्तु कोई भी कागजात अंचल कार्यालय में उपलब्ध नही पाया गया। इन्द्रजीत सिंह पिता–रामाधीन सिंह ग्राम–पुनौल के द्वारा भी इस संबंध में कोई कागज़ात न्यायालय में प्रस्तुत नही किया गया है जो प्रमाणित कर सके कि इन कागजातों के आधार पर Online जमाबन्दी कायम की गई है। उक्त के आलोक में ऑनलाईन पंजी II के पृष्ठ संख्या 70/2 पर मौजा–पचमों के खाता न0–1, प्लॉट न0–1372, रकवा–0.15 ए0 भूमि बालदेव सिंह पिता–चोवा सिंह के नाम कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा को प्रेषित करें। लेखापित एवं संशोधित। 7/03/25 अंचल अधिकारी, ईटखोरी। 7/03/25 अंचल अधिकारी, ईटखोरी।	

Digitally signed by Savita
Date: 2025.04.12 16:03:56 +05:30
Location: 10.93.137.42